

सेवा में,

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत चमदेवल-निडिल मोटर मार्ग के विषय – निर्माण हेतु 5.54 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/10142/2015)
- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,चम्पावत की पत्र संख्या 278/03 पी०एम०जी०एस० सन्दर्भ :--वाई0 दिनांक 11.03.2024 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चमदेवल निडिल मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी. / यू.सी. पी. / 06 / 82 / 2015 / एफ.सी. / 262 दिनांक 29.06.2021 के द्वारा 4 बिन्दुओं की आपत्ति प्रकट की गयी है। जिसका अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत द्वारा निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसके अनुसार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है-

		कृत कार्यवाही
क्र0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आपत्ति	
सं0 1.	It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/- State Govt. may submit the clearification in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा पूर्व में एन0पी0वी0 की धनराशि घनत्व 0.3 के अनुसार 3639780 कैम्पा मद में जमा की गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी के डिमाण्ड नोट के अनुसार घनत्व 0.4 है0 के लिए अतिरिक्त रू0 1041520.00 को कैम्पा मद में जमा किया जा चुका है।
2.	State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.	प्रस्तावक विभाग के द्वारा धनराशि 3396363.00 रू0 मात्र की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना संलग्न की गयी है।
3.	In compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following points are noticed;	
i	The area of CA is mentioned as 11.80 ha. Instead of 11.08 ha. In the Nodal Officer's letter. State Government may submit the clearification in this regard.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का वास्तविक क्षेत्रफल 11.08 है0, अन्य सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों (क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के नक्शे, के0एम0एल0 फाईल) में 11.08 है0 है। नोडल अधिकारी के पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल 11.80 है0 लिपिकीय त्रुटिवश है।
ii	Name of CA area is mentioned to be in Gureli village only instead of Gureli village and Selpar village. State Government may submit clearification.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित स्थल ग्राम—गुरेली एवं ग्राम—सेलासेलपड़ में संयुक्त रूप से है, जिसमें ग्राम गुरेली में 6.171 है0 एवं ग्राम सेलासेलपड में 4.909 है0 चयनित है।
4.	As per the guidelines 2.4 [i]. it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as	प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाली 5.540 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग,

RF/PF prior to the Stage-II approval. But still	उत्तराखण्ड को प्रत्यार्वतन किया गया है। उक्त वन
he proposal has forwarded without notification.	भूमि के बदले ग्राम–गुरेली, प0क्षे0–पुल्ला,
	र्र तहसील–लोहाघाट, जनपद–चम्पावत के गै०ज०वि०
	श्रेणी—10(4), बंजर नाकाबिल आबाद के ख0
	श्रणा—10(4), बजर नावगावल जावाय के जन्मरा
	खाता—121, खेत न0 4877, रकवा 1.008 है0, खसरा
	न0-4378 रकबा 5.163 है0, कुल 6.171 है0 एवं
	गाम–सेला सलपड, तहसील–लोहाघाट, क ग0ज0140
	श्रेणी–9(3)ड0, बंजर काबिल आबाद के खतौनी खाता
	संख्या—197, खसरा न0—8357, रकबा 4.909 है0, इस
	प्रकार कुल 11.080 है0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक
	$y_{\phi} = y_{\phi} = 11.080 = 0 = 11100 = 100$
	वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण
	किया गया है। वन विभाग को हस्तांतरित की गयी है
	स्न 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित
	तन क्षेत्र है तथा भमि का अमल दारामद राजस्व
	विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं
	इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु
	s(a) $a(a)$
	इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये
	जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने

का कष्ट करें। संलग्नकः-- उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

1

(आर0सी0काण्डपाल) प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

<u>पत्रांक 4073 / 12-1 तद्दिनांकित।</u> प्रतिलिपि- अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय व

चम्पावत वन प्रभाग,चम्पावत।

🕐 🕅 🖏 कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,

चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT Phone – fax 05965-230148 E-Mail; <u>eepmgsychampawat@gmail.com</u>

<i>पत्रांक</i> <u>2.7.8</u> /03 सेवा में,	३ पी०एम०जी०एस०वाई०

दिनाँक 11. / 03 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ।

विषय :- <u>जनपद-चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल</u>-निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10142/2015)

सन्दर्भः – कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक सं0 2843/FP/UK/ROAD/10142/2015, दिनांक 16.06.2021 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/262, दिनांक 29.06.2021

महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तानान्तरण के ऑनलाइन प्रस्ताव में आपके द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रेषित की जा रही है, जो निम्नानुसार है –

क्र0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण			
1	It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/- State Govt. may submit the clearification in this regard.	पूर्व में एन0पी0वी0 की धनराशि घनत्व 0.3 हे0 के अनुसार 3639780 कैम्पा मद में जमा की गयी थी। प्रभागीय वनाधिकारी के डिमान्ड नोट के अनुसार घनत्व 0.4 हे0 अतिरिक्त धनराशि रू0 1041520.00 को कैम्पा मद में जमा किया जा चुका है। कुल रू0 4681300.00 कैम्पा मद में घनत्व 0.4 है0 के अनुसार जमा किया जा चुका है। (संलग्न)			
2	State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.				
3	In compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following points are noticed:				
(i)	The area of CA is mentioned as 11.80 ha. Instead of 11.08 ha. In the Nodal Officer's letter. State Government may submit the clearification in this regard.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का वास्तविक क्षेत्रफल 11.08 है0 है, अन्य सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों (क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के नक्से, के०एम०एल० फाइल) में 11.08 हे0 है। नोडल अधिकारी के पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल 11.80 हे0 लिपिकीय त्रुटिवश है।			

(ii)	Name of CA area is mentioned to be in Gureli	क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित स्थल ग्राम—गुरेली एवं ग्राम—सेलासेलपड़ में संयुक्त रूप से है, जिसमें ग्राम गुरेली में 6.171 हे0 एवं ग्राम सेलासेलपड़ में 4.909 हे0 चयनित है। (प्रपत्र संलग्न हैं)
4	As per the guidelines 2.4 (i). it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as RF/PF prior to the Stage-II approval. But still the proposal has been forwarded without notification.	उक्त कार्यवाही आपक स्तर स अपावत हो

. **संलग्नः —** <u>उपरोक्तानुसार ०५ प्रतियों में।</u>

भवदीय, the ्र, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,(लो०नि०वि०)चम्पावत।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 द्रभाषः 0135-2650809 फैक्स-0135-2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001 PHONE- 0135-2650809 FAX- 0135-2653010 Email- moef.ddn@gov.in

फ0 संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 82 / 2015 / एफ0 सी0 / 9-62

दिनांक 29/06/2021

रोवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः – जनपद – चम्पावत में चमड़देवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/10142/2015)

सन्दर्भः–कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2843/FP/UK/ROAD/10142/2015 दिनांक 16-06-2021

महोदय.

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.09.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:--

- 1- It is seen that NPV calculation sheet mentioned density 0.4 has been uploaded online and submitted with the hard copy of the proposal. Thus the amount of Rs. 46,81,300/- is required to be deposited in the CAMPA fund instead of Rs. 36,39,780/-. State Govt. may submit the clarification in this regard.
- 2- State Government may submit the CA scheme of Rs. 33,96,363/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.
- 3- In compliance to point No. 01 of in-principle approval letter, following points are
 - The area of CA is mentioned as 11.80 ha instead of 11.08 ha in the Nodal Officer's noticed: letter. State Government may submit the clarification in this regard. (i)
 - (ii) Name of CA area is mentioned to be in Gureli village only instead of Gureli village and Selpar village. State Government may submit clarification.
- 4- As per the guidelines 2.4 (i). it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as RF/PF prior to the Stage-II approval. But still the proposal has been forwarded without notification.

(टी० सी० नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी० सी० नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के०)

	GENCY COPY	DANK COPY यूनियन तैंक O Union Bank			
यूनियन बैंक	Union Bank				
C and	(5) enrolt tota	B.##	(9) Corporation		
NEFT / RTGS (Date : 05-02-2024	HALLAN for CAMPA Funds	NEFT / RTGS CI Date : 08-02-2024	ALLAN for CAMPA Funds		
Agency Name.	PMGSY	Agency Name.	PMGSY		
Agency technology	6110142590	Application No.	6110142590		
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/82/2015/FC	MoEF/8G File No.	8B/UCP/06/82/2015/FC		
	UTTARANCHAL	Location.	UTTARANCHAL		
Location. Address.	OFFICE OF THE EXECUTIVE		OFFICE OF THE EXECU ENGINEER, IRRIGATION DIVISION (P.W.D.)CHAMPAWAT Champawat		
Amount(in Rs)	1041520/-	Amount(in Rs)	1041520/-		
and Twenty Rupees Chil	e made as per following	and Twenty Rupees Only	akh Forty-One Thousand Five , made as per follow i		
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA	Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMP		
IFSC Code:	UBIN0996335	IFSC Code:	UBIN0996335		
Pay to Account No.	150896110142590 Valid only for this challan amount.	Pay to Account No.	150896110142590 Valid only for this challan amount.		
	Criditation of the second seco				

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

This is to acknowledge that demand details submitted by User Agency have been verified by Nodal Officer and found to be correct. Detail of Proposal are given below.

Propsal Detail

1. Proposal No.

:FP/UK/ROAD/10142/2015 Construction of Chamdeval to Nidil M/R

2. Proposal Name

under PMGSY Champawat.

3. Category of the Proposal :Road 4. Date of In-principle :15/02/2015 5. Name of the Applicant with Contact Details

Name Mobile No. Email ID State . District Pincode

:PMGSY :7534880799 :eepingsychampawat@rediffmail.com :Uttarakhand :Champawat :262523

Funds Demand Details

1. Compensatory Afforestation	:Rs. 0/-
2. Additional Compensatory Afforestation	:Rs. 0/-
3. Penal Compensatory Afforestation	:Rs. 0/-
4. Catchment Area Treatment	:Rs. 0/-
5. Safety Zone	:Rs. 0/-
6. Additional Charges for protected are	ea:Rs. 0/-
7. Net Present Value (NPV)	:Rs. 1041520/-
8. Other Charges	:Rs.0/-
9. Other Charges1	:Rs.0/-
10. Other Charges2	:Rs.0/-
11. Other Charges3	:Rs.0/-
A REAL PROPERTY AND A REAL	- 1041500/

Total Amount

:Rs. 1041520/-

User Agency is requested to make above mentioned payment after generating challan through the system.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***

कार्यालय प्रभागी वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

Phone No. 05965 230375- Fax No. 230180 Email- dfo.champawat@rediffmail.com 31157 दिनांक, चम्पावत 31-01-2024 पत्रांक / 12-1

सेवा में.

अधिशासी अभियन्ता. रेन्दाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग ःम्पावत ।

जनपद-चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/10142/2015

भारत सरकार की पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/2015 एफ०सी०/260 दिनांक 29.06.2021 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या-3158/12-1 दिनांक 18.01.2024।

महदय.

£

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन. क्षेत्रीय कर्युलय, देहरादून की पत्र संख्या-8B/UCP/06/82/2015/FC/1396 दिनांक 23.09.2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें एन0पी0वी0 की धनराशि हरियाली घनत्व 0.30 के अनुसार धनराशि 3696363.00 (छत्तीस लाख छियानब्बे हजार तीन सौ तिरैसठ) मान्न जमा की गई है जबकि भारत सरकार के उवत सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा–निर्देश के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि हरियाली घनत्व 0.40 के अनुसार 4681300.00 (छियालीस लाख इकासी हजार तीन सौ) मात्र जमा की जानी है, जिसके लिए एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन०पी०वी० न देग धनगुणि का आंकलन निम्न प्रकार है -

ते दरो	क अनुसार आतारकत दय वनसारा का जावरता ता	1 7 44		
1	ईको-क्लास श्रेणी	=	٧	
2	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.4 (40%)	
2	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	=	845000.00	
э.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	=	5.54	
4.	कुल देय एन०पी०वी० धनराशि (रूपये)	=	4681300.00	
5	पूर्व में जमा की गई एन०पी०वी० धनराशि (रूपये)	-	-3639780.00	
6.	पुर्व में जमा का गई एन०पाठपाठ पे रागरा (१९१५)		11520 00	

7. वर्तमान में देय एन०पी०वी० धनराशि (रूपये) -1041520.00 दस लाख इकचालीस हजार पांच सौ बीस मात्र की धनराशि केम्पा कोप में जमा की जानी

है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत i

संख्या-/दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रगुख वन संरक्षक, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून 2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त अल्मोडा।

> प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

प्रारूप - 42

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि (11.08 है0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राकल्लन।

वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल - 11.08 है0

वृक्षारोपण स्थल – सेला–सेलपड़ (4.909 हे0) तथा गुरेली (6.171 हे0), तहसील–लोहाघाट रोपित किए जाने वाले वृक्ष – च्यूरा, रीठा, ऑवला, रोहणी, पदम एवं साल आदि। रोपित किए जाने वाले पौधों की सं0–17728

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	11.08	हे0	147.00	1628.76
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	11.08	हे0	887.00	9827.96
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	11.08	हे0	11700.00	129636.00
4	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0	930.72	घन मी0	478.00	444884.16
5	कन्टूर फरों का कार्य (प्रति हे० ६०० २०मी०)	-	प्रति र0मी0		-
6	अग्रिम मृदा कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45) 1600 गड्ढा प्रति हे0	17728.00	गड्ढे	11.14	197489.92
7	निरीक्षण बटिया बनना	11.08	हे0	737.00	8165.96
8	पौधौं की कीमत (प्रथम वर्ष)	17728.00	पौध	8.70	154233.60
9	अन्य व्यय जैसे गड्ढों की गिनती/दीवाल नपत हेतु चूना कय, वर्षा जल संग्रहण के लिए पानी संचय करने हेतु ढाल के अनुसार छोटी नालियां बनाना आदि।	11.08	(ल०स०) प्रति है०	400.00	4432.00
	योग - प्रथम चरण				894207.36
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	17728.00	गड्ढे	1.75	31024.00
2	कन्टूर फरों में बीज बुआई (प्रति हे० ६०० र०मी०)		प्रति र०मी०	-	-
3	पौधौं की कीमत (द्वितीय वर्ष)	17728.00	पौध	1.75	31024.00
4	पौध दुलान कार्य (25 नंगी तथा 75 बैग पौध रोपण तथा 25 कि0मी0 वाहन व 3 कि0मी0 सिरबोझ औसत पर)	17728.00	पौध	9.70	171961.60
5	पौध रोपण व थालाबन्दी	17728.00	पौध	3.13	55488.64
6	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग	17728.00	पौध	1.15	20387.20
7	रासायनिक खाद व दवा	17728.00	पौध	0.32	5672.96
8-1	देखरेख व रख–रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम स कम 10 हे0 पर)	11.08	हे0	7235.00	
8-2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	(ल०स०) प्रति है०	1 250 00	3878.00
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साप करना	11.08	(ल०स०) प्रति है०	1 995 00	2493.00

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना।	11.08	(ल०स०) प्रति है०	400.00	4432.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, वर्ष में दो—तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि काय।	11.08	(ल०स०) प्रति है०	700.00	7756.00
	योग – द्वितीय चरण				414281.20
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				1308488.56
	तुतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	10852.00	120240.16
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूंस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	60	350.00	3878.00
	2.2– सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे0	225.00	2493.00
	2.3— वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना		हे०	400.00	4432.00
	योग – तृतीय चरण				131043.16
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय) चरण				1439531.72
	चतुर्थ चरण			141	2052.50
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे0	11937.20	132264.18
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे0	385.00	4265.80
	2.2— सुरक्षा दीवार / घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे0	· 247.50	2742.30
	2.3– वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	i 11.08	हे0	440.00	4875.20
. •	योग – चतुर्थ चरण				144147.4
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ) चरण				1583679.2
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार 12 माह	र्थ 11.08	हे0	13130.9	2 145490.5
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस ए ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	य ं 11.08	हे०	423.50	4692.38

OTTO	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2.2— सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे 0	272.25	3016.53
	2.3— वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में	11.08	हे 0	484.00	5362.72
*	उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना योग पंचम चरण				158562.22
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम) चरण				1742241.42
	षष्टम चरण				
1.	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे0	14444.01	160039.65
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे0	465.85	5161.62
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे०	299.48	3318.18
	2.3— वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे0	532.40	5898.99
	उल्लखनाय काव हतु व्याक्तवा / सामाताया का प्रात्ताहन दना योग – षष्टम चरण				174418.44
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम) चरण				1916659.80
-	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे0	15888.41	176043.62
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	512.44	5677.78
	2.2— सुरक्षा दीवार⁄घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे०	329.42	3650.00
×	2.3— वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे0	585.64	6488.89
	योग - सप्तम चरण				191860.2
	कुल योग– (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्ध + पंचम + षष्टम + सप्तम) चरण	,			2108520.1
	अष्टम चरण	• •			
1	. रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे0	17477.25	193647.9

0 1 0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे0	563.68	6245.56
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	11.08	हे0	362.36	4015.00
	2.3- वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में	11.08	हे0	644.20	7137.78
	उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना योग – अष्टम चरण			×	211046.32
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम + सप्तम + अष्टम) चरण				2319566.47
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे०	19224.98	213012.78
2	12 नाह 2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	620.05	6870.11
	ज्वलनशाल पदार्था का हटाना 2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे0	398.60	4416.50
	2.3— वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	हे0	708.62	7851.56
-	योग – नवम चरण				232150.95
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम + सप्तम + अष्टम + नवम) चरण	-		а.	2551717.4
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे0	21147.4	8 234314.0
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एव ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे०	682.05	7557.12
	2.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे०	438.46	4858.1
	2.3 वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि	1 .	- G		
÷	सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा व	Ť 11.08	हे०	779.4	8636.7
	उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना				
	योग दशम चरण				255366.
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम + सप्तम + अष्टम + नवम +दशम) चरण	-			2807083

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
	एकादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	60	23262.23	257745.46
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे0	750.26	8312.84
	2.2- सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे०	482.31	5343.97
	2.3— वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में	11.08	हे0	857.44	9500.39
	उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना योग – एकादश चरण				280902.66
	कुल योग- (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम + एकादश) चरण	×		-	3087986.12
	द्वादश चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	हे0	25588.45	283520.01
2	2.1— वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास—फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	11.08	हे0	825.28	9144.12
	2.2— सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	11.08	हे0	530.54	5878.36
	2.3— वृक्षारोपण से लामान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना		हे०	943.18	10450.42
	योग – द्वादश चरण		1.08		308992.91
	कुल योग— (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम + एकादश + द्वादश) चरण				3396979.0
	या 11.08 है0 @ 306531.00				3396363.0

Dandy

प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रशाम चम्पावत।

X St MATSHA MAITENT MARYAM

यन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्र--लोहाघाट वन प्रमाग् च्राम्पावस

ः कब्जा प्रमाण पत्र ः

परियोजना का नामः-- जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 5.540 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेनु दोगुने क्षेत्रफल 11.080 हे0 सिविल भूमि ग्राम–गुरेली, प0क्षे0–पुल्ला, तहसील--लोहाघाट व जनपद- चम्पावत के गैर ज0वि0 श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या–121, खेत नम्बर–4877 रकवा–1.008 हे0, खसरा नम्बर–4378 रकवा–5.163 हे0, कुल – 6.171 हे0 एवं ग्राम–सेलासलपड, प0क्षे0–मडलक, तहसील–लोहाघाट एवं जिला–चम्पावत के गैर ज0वि0 श्रेणी 9(3)ड़ ब0का0आ0 के ख0 खाता संख्या–197, खसरा नम्बर–8357 रकवा–4.909 हे0, इस प्रकार कुल–11.080 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी चम्पावत के आदेश सं0–5779/सात–व0भू0–भूमि इस्तॉ0/2020–21 दिनांक – 14 अगस्त 2020 के क्रम में तहसीलदार लोहाघाट द्वारा पत्र सं0–657/मू–हस्ता0 (र0का0)/2020–21 दिनांक – 07 अक्टूबर 2020 के द्वारा उक्त याचित भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वनविभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका अमल दरामद भी वनविभाग के नाम हो चुका है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के कब्जे में ले ली गयी है।

लोहाघाट वनक्षेत्र।

चम्पावत वनु प्रभाग चम्पावत।

C.S

कार्यालय तहसीलदार, लोहाघाट

रांख्या 657 /गू-हरता.(राका0)/2020-21 दिनांक 07 अक्टूबर 2020

सेवा में.

अधिशासी अभियन्ता. रिांचाई खण्ड, (लो०नि०वि०), पीठएमठजीठएराठवाई०, चम्पावता।

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सहक योजना के अन्तर्गत चमदेवल रो निहिल मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाले वनभूमि के बदले 11.080 हेक्टेयर सिविल বিষয– भूमि का चन विमाग के नाम म्यूटेशन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत के आदेश संख्या 5779/सात-व0भू०-भूमि हस्ता0/2020--21 दिनांक 14 अगरत 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में ुजनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के वदले, ग्राम गुरेली प०क्षे० पुल्ला तहसील लोहाघाट जनपद चम्पावत के गैर जमींदारी विनास श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या 121, खेत नम्बर 4877 रक्वा 1.008 हे0, खसरा नम्बर 4378 रक्वा 5.163 है0, कुल 6.171 है0 एवं ग्राम सेलासलपड़ तहसील लोहाघाट के गैर जमींदारी विनास श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के ख0 खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 8357 रक्वा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 है0 भूमि भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरण कर हस्तान्तरित कर दी गयी है। राजस्व

उपनिरीक्षक मडलक, पुल्ला द्वारा तैयार खतौनियों के उद्धरण संलग्न है। अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न- यथोपरि।

प्रतिलिपि-

- 1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को उनके आदेश संख्या 5779 दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
- 2. उपजिलाधिकारी महोदय, लोहाधाट को सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार लोहाधाट

TACIZANTA SIC IN TATAS 2114 - 3 (m) 48- Jean medan are 200 For cr. 2 1 90(8). 340/45 2 14) - 4041 - 4041 - 19 14. CH 195 mild. 101 me 19/1 31-7 70000 TITY ZAINSINT Zda1 17 729(47 Entrig Frycalleinil)-mound cr & grisar 000 5-5779/ ETM- 9:21-2 19 E ETM/2020-21 944 07/ 07/ 01/0 1874 ול דוה 14,3-12 ול 2020 עמודאראו דריבואלי איו 29 3 TEI EIZ & FI IS \$ 15 17/8/ 2020 & FORM4 29 DININ GEDIT UNI OLOYOT CONTRACTS UNIN 1.426 32 HAITENTY A HOILING JENTY ESSEUST 8 40/58-A. 12. A. A. 106/82/20157 22211! onz! Eth, th. 11386 75 75 23-9-2019 51 (1 31EN שהוזהאים במאפוראירים שעווא מווע הוע) 8568 0.214 Therein of the environ 3 to 7 For 795 8.143 8562 8566 2.343 51590 के प्रा दाम के करला छात्र ने तिल महीक्र पुल्ला लहातील क्लाहा ता -8565 5.178 8559 0.457 Jot45 - 2124/40/ 3 3/ (WA . TO + N) ちどのみ 0.009 2010-7-687720017.008 2529200 70 8 4878 (41 5, 163 8 500 611 71 8 3/2 Snall 3nal! ביוות נושציותוניד ל דמע מיד למאוזין 1 E TIN #1241 -NICOT/ECOMPANNOO 0.020 XXXG की स्वीडीक उड़म की जाती ही, जरि 0.016 2882 कारिक में सम्मल हरामह विग 0.010 XXXX 0.020 SYSMAD FRENDUM xxxC 0.008 2859 291810090 0.028 X835 49.970 4X2 10/10 - Carning and and and and and and and 7 EN 161 91 200 20

HAR CANAL SI WINISI TO THE CAN \$ 510 - ROTHALS 48 48 - 7500 00 TENON - TELENC TWINIS - THE PART ON

-221	frizz àvri 577	× M BrA	y^	1	1
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	TIN TOPOSICIT	4 ticht	29 m	[day	JI-4 Ta 4107
97	みん のうみ ちかうろ	1374	2	1.215	2) 5779 210 - 472 10 - 2500 - 250 2507
, ,			3	1:250	2020-2175712 14 5760 2020 29477
			7	0.09	MEUTEN ATEION & FIRETSTU 17-08-2020 \$ 319 [21] MICH (CON)
			16	01023	भिमानामनेत्र एव जलाना में परिका ह
			24	0.004	37 ARNY 27 CATY OILY MALE TO TAKI
			27	0.199	
			32	0,004	06/82/2015/05, A.1.386 5
			3451	3721:	DI DI WILLAN
			/	1	स्वी कार् एव उपा जला पि कार लग्न
			8323	201,0	भ एस मार्ड के मार्
			8347	6,08	TANOT & HANGNER AND AT
			8357	4.909	972 B Barsmiller Hori Hory
			8362	0.023	CTY VOLCE CONSIGNA A TITUTIN
			8381	porrog	194121220)9(3)5,0001 01141
			Snal!	יובתיכב	371915 & LAT LATT 57 197 - 29 19 17 47 8357 2001 4.909 2
					र्षे जोमालेश एवं मारायण
			9086	0.313	मिलेप वन विभाग है नाम नामान्त
			7092	0.226	BENITO OTE OF END FOR YS
			9155	0 .55	at with a with misty 5
			9168	120.0	मिल वन विभाग के नाम नामान्त इहला मान्तरण की हवी कार्त्म प्रद की जगती के राजे पिरे कार्रिका है कामल इराम इ किम।
			9177-	0.076	
				1.00	Alex Fight
			9192	1.488	TAR DE PAIL
	H	1			NE - 51307 291081 202
	2/1 3/		507	144.355	
			I /		
				78.59,	क्लीन कप्रत के नाम के लगभा
					10
					57. 50 10. 6191 200

आदेश

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) सुभाष राड, दंहरादू-के पत्रोंक-8 बी/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/1386, दिनॉक 23.09.2019 के द्वारा जनपद चम्पावत में चमदेवल रं निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 5.540 है0 वन भूमि के बदले ग्राम- सेलासलपड़ में 4.909 है0 तथा ग्राम- गुरेली रं 6.171 है0, कुल 11.080 है0. सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विमाग के नाभ हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, उप जिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा अपने पत्र संख्या-674/सिविल भूमि-म्यूटेशन 2020. दिनॉक 27 जुलाई. 2020 के द्वारा चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित 5.540 है0 वन भूमि के बदल 11 080 है) सिदिल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम इस्तान्तरण हेतु चयन कर म्यूटेशन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है:--

उक्त परियोजना हेतु ग्राम-गुरेली, प०क्षे०-पुल्ला, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत के गै०ज०वि० श्रेणी-10(4), बंजज् नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या- 121, खेत नं0 4877, रकवा 1.008 हे0, खसरा नं0-4378 रकवा 5.163 हे0, कुल हे0 एवं ग्राम सेला सलपड़ तहसील- लोहाघाट, के गै०ज०वि० श्रेणी-9(3)ड0, बंजर काबिल आवाद के खतौनी खाता संख्या-197. 6.171 खसरा ने- 8357, रकवा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित की गयी है।

प्रस्तावित भूनि के पूरब सरहदी नदी, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में राज्य सरकार की भूमि है।

प्रस्ताचित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक स्थल, श्मसानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है। 3-

प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है। 4-5-

प्रस्ताःवित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम 6-प्रधानों की निरापत्ति प्रनाण पत्र संलग्न है।

उपजिलाधिकारी, लोहाघाट द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) सुमाब रोड, देहरादून के पत्रॉक-8 बी/यू०सी०पी0/06/82/2015/एफ०सी0/1386, दिनॉक 23.09.2019 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की उक्त आख्या/संस्तुति के कम में, जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रमादित होने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के बदले, ग्राम-गुरेली, प0क्षे0-पुल्ला, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत के गै०ज0वि0 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या– 121, खेत नं0 4877, रकवा 1.008, हे0, खसरा नं0–4378 रकवा 5.163 है0, कुल 6.171 हे0, एवं ग्राम सेलासलपड़ तहसील- लोहाघाट, के गै०ज०वि० श्रेणी-9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के ख0खाता संख्या-197, खसरा नं- 8357, रकवा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि को, हातिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

> (एस०एन० पाण्डे) जिलाधिकारी चम्पावत।

_ अगस्त, 2020।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या- 57 79/ सात-व0भू0-भूमि हस्तॉ0/2020-21, दिनॉक निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-प्रतिलिपि 14

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।

- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
- प्रभागीय बनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
- उप जिलाधिकारी लोहाघाट।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड (लोटनि०वि०), पी०एम०जी०एस०वाई०. चम्पावत।

तहसीलदार, लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि. स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियनानुसार भू-अमिलेखों में नामान्तरण कर. हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंने।

(एसा०एन0, पी जिलाधिकारी चम्पावत।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली, 2003 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 10142/2015 योजना जनपद-चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.54 है0 वनभूमि प्रमावित हो रही है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल 11.08 है0 सिविल भूमि ग्राम – गुरेली, प0क्षे0 – पुल्ला, तहसील – लोहाघाट व जनपद – चम्पावत के गैर ज0वि0 खतौनी खाता संख्या – 121 श्रेणी 09(03)ड़0 बंग्रेका0आ0 के खेत सं0 – 4877 मध्ये 1.008 है0, खेत सं0 – 4378 मध्ये 5.163 है0, कुल 6.171 है0 एवं ग्राम – सेलासेलपड़, प0क्षे0 – पुल्ला, तहसील – लोहाघाट व जनपद – चम्पावत के गैर ज0वि0 खतौनी खाता सं0 – 197 श्रेणी 09(03)ड़0 बंग्रेका0आ0 के खेत सं0 – 8357 के मध्ये कुल – 4.909 है0 के मध्ये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। तहसीलदार, लोहाघाट द्वारा पत्र सं0 – 657/भू0–हस्ता0 (र0का0)/2020–21, दिनांक 07 अक्टूबर 2020 के द्वारा उक्त याचित भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका असल दरामद भी वन विभाग के नाम हो चुका है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के कब्जे में ले ली गयी है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा – 4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है।

(ह0)

W

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागायं वनाधिकारा, चम्पावतं वनं प्रभाग, चम्पावतं । (80)

वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय

वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा पत्रांक / अल्मोड़ा, दिनांक 2023

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

- अपर प्रमुख वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड, देहरादून।
- 2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
- 5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल / कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
- 6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।

7. गार्ड बुक।

(ह0)

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त।